

लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स मोर मुकट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक-श्रीमति लालती देवी, प्लॉट नंबर-388/389, बिस्कूट फैक्ट्री मोड़, नासरीगंज, पी.ओ.-दानापुर, पी.एस.-दानापुर पटना द्वारा पटना सोन-07 बालू घाट, मौजा-मसौड़ा, ब्लॉक-पालीगंज, जिला-पटना के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत दिनांक 10.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे पटना जिला के अंचल कार्यालय, पालीगंज, जिला-पटना में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं०-एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2364/2023, dated 25.04.2023 के आलोक में श्री नौशाद अहमद, अपर समाहर्ता, विशेष, पटना (जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद, द्वारा दिनांक 10.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, पालीगंज, जिला-पटना में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा प्रभात खबर एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 08.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद, पटना द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रवि रंजन ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू-जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (540 नं०)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत हैं:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री गुड्डु शर्मा, ग्राम-जलपुरा, जिला-पटना।	<p>इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान ओभर लोडिंग होने से सड़क खराब हो जाता है एवं इनके द्वारा पूछा गया कि यहाँ के ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा की नहीं।</p> <p>पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह परियोजना नया इसमें सारे काम नियम से होंगे।</p> <p>पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा।</p> <p>बालू घाट से मुख्य सड़क तक पहुँच पथ का मरम्मत संवेदक द्वारा किया जायेगा।</p>
2.	श्री आलोक कुमार, ग्राम-मसौड़ा, जिला-पटना।	<p>इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान सड़क को क्षति पहुँचती है तो उसका मरम्मत का काम कौन करेगा एवं इस परियोजना के तहत कितने पेड़ लगाये जायेंगे।</p> <p>पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू घाट से लेकर मुख्य मार्ग तक सड़क का मरम्मत संवेदक द्वारा किया जायेगा। राज्य राजमार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग का मरम्मत सरकार द्वारा कराई जाती है।</p> <p>इनके द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना शुरू होते ही लगभग 540 पेड़ लगाये जायेंगे। इन पेड़ों की सुरक्षा एवं रख-रखाव परियोजना संचालक द्वारा किये जायेंगे। पेड़ हॉल रोड, गाँव के आस-पास इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे। पेड़ के रख-रखाव हेतु स्थानीय लोगों को ही माली के रूप में रखा जायेगा।</p>
3.	श्री कुंदन कुमार, ग्राम-मसौड़ा, जिला-पटना।	<p>इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि अधिक-से-अधिक पेड़ लगाया जाना</p>

		चाहिए।
4.	श्री आलोक कुमार महतो, ग्राम-मसौड़ा, जिला-पटना।	इनके द्वारा पूछा गया कि इस परियोजना से क्या लाभ मिलेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि सरकार को राजस्व प्राप्त होगी, जिससे विकास का कार्य किया जाता है। स्थानीय लोग को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। गाँव की अर्थ व्यवस्था में एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है एवं राज्य का विकास होता है। विकास के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख-रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गाँव की अर्थ-व्यवस्था में एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।







BT
21-8-23
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद,पटना

21/08
अपर समाहर्ता, विशेष,
पटना

उपस्थिति सूची

मेसर्स मोर मुकट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक-श्रीमति लालती देवी, द्वारा पटना सोन-07 बालू घाट, मौजा-मसौड़ा, ब्लॉक-पालीगंज, जिला-पटना में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान-अंचल कार्यालय, पालीगंज दिनांक 10.08.2023 समय-11:00 A.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	नाशाद अरमद	ADM (SP1) Patna	 10/8
2.	सर्वेय कुमार खन्व	खनिज विकास पदाधिकारी पटना	 10/08/2023
3.	आशीष कुमार गुप्ता	श्री 15-पदाधिकारी, कि. 10 उपनि. 90, पटना	 10-8-23
4.	Vikash Mishra	In Manager Rian Enviro Pvt Ltd	 10/8/23
5.	Ravi Ranjan	Consultant Rian Enviro Pvt. Ltd.	 10/8/23.
6.	Vikash Kumar	B.S.P.C.B, Patna	Vikash Kumar.
7.	Ravi Kant Singh	Manager Mor Mukat	
8.	Guddu Kumar	मुखिया मसौड़ा गुप्त	Guddu Kumar
9.	Piyush Rajan	मसौड़ा जलपट्ट	Piyush Rajan.
10.	Alok Ver	Masaurha Jalpatt	Alok Ver
11.	Abhinav Kumar	Masaurha Jalpatt	Abhinav
12.	Raushan Kumar	Masaurha Jalpatt	Raushan
13.	परमेश्वर कुमार	एकिकर	परमेश्वर
14.	KUSH KUMAR	Masaurha Jalpatt	KUSH KUMAR
15.	रंजन कुमार	मसौड़ा जलपट्ट	Ranjan Kumar

16	रविरंजन कुमार	मलीहा जलपूर	Ravirandan.
17	दिलीप कुमार	मलीहा	Dilip Kumar
18	Kudren Kumar	Muzarha	Kudren Kumar
19	दादाशाम शिमा	मलीहा	
20	Dapae. ur	मलीहा	Dapae. ur
21	Prem Kumar Singh	CHAKIHA	Prem K S Singh
22	विजयशंकर	कुरुर	विजयशंकर
23	Om Prakash Kumar	मलीहा	Om Prakash K
24	गोम कुमार	कुरुर	गोम कुमार
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			